संख्या-18-2025-डीएफए-1258732-38-6099-99-14-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 26-09-2025

विषय- महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य कराये जाने के संबंध में संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-11017/2/2023-आरई-VII, दिनांक 08-08-2025 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय के पत्र संख्या-1076, दिनांक 19-03-2024, पत्र संख्या-2101, दिनांक 06-06-2023 एवं पत्र संख्या-2768, दिनांक 09-12-2022(समस्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्व में जनपदों को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य 266 कार्यों में से 68 व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य हैं, इन कार्यों में भूमि विकास, सिंचाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, आजीविका परिसम्पत्तियां, स्वच्छता, मृत नमी संरक्षण, बायोगैस उत्पादन आदि सम्मिलित हैं। योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक गरीब ग्रामीण परिवारों को योजना से आच्छादित किये जाने हेतु लाभार्थी का चयन अधिनियम और वार्षिक मास्टर सर्कुलर के प्राविधानों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी तरीके से किया जाना चाहिए जिससे योजना का लाभ लक्षित लाभार्थियों को मिले एवं लाभार्थी चयन में दोहराव या दुरूपयोग से बचा जा सके। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास

http://gramsandesh.up.gov.in

मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर सुर्कलर 2022-23 के प्रस्तर-7.4.12 द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों हेतु लाभार्थी चयन के संबंध में प्राविधान किया गया है।

योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य कराये जाने के संबंध में संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08-08-2025 में उल्लेख किया गया है कि व्यक्तिगत कार्यों के लाभार्थियों के चयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन फील्ड स्तर पर नहीं किया जा रहा है। मुख्य रूप से योजना के अन्तर्गत एक ही परिवार को कई परिसम्पत्तियां प्रदान की गयी हैं, जबकि पारदर्शिता एवं निर्धारित प्राविधानों के अनुसार व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य हेतु लाभार्थी का चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया के अनुसार उचित सत्यापन के बाद और पात्रता मानदंड के अनुसार लाभ दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नरेगा साफ्ट पर वर्क आई0डी0 निर्गत करने से पूर्व संबंधित पंचायत सचिव द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र नरेगा सॉफ्ट में अपलोड किये जाने का प्राविधान किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य कराये जाने हेतु लाभार्थी चयन में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर सुर्कलर 2022-23 के प्रस्तर-7.4.12 द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों हेतु लाभार्थी चयन की प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाय तथा किसी भी दशा में व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमा का उल्लंघन न किया जाय।

इसके साथ ही योजना में कार्यरत कार्मिकों तथा ग्राम प्रधान के पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों को मनरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीपरक से आच्छादित किया जाना है तो ऐसी दशा में संबंधित को योजनान्तर्गत व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों से आच्छादित किये जाने से पूर्व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाय कि संबंधित मनरेगा जाब कार्ड धारक है, संबंधित को पूर्व में मनरेगा योजना के लाभार्थीपरक परिसम्पत्ति से आच्छादित नहीं किया गया है तथा व्यक्तिगत

http://shasanadesh.up.gov.in

लाभार्थीपरक हेतु निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त सत्यापन किये जाने के उपरांत ही व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही की जाय। परिवार/सम्बन्धी का तात्पर्य जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के पैरा-54 के अनुसार पिता, पितामह, श्वसुर, चाचा या मामा , पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा या भांजा, सगा चचेरा या ममेरा भाई, पत्नी का भाई और बहनोई, पति, पति का भाई, पति की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, बहन, भाभी जो भाई या सगे चचेरे या ममेरे भाई की पत्नी हो, माता, सास, चाची या मामी से है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य कराये जाने के संबंध में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त(मनरेगा), उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in